



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 3250 / SEIAA/2022

Date: 4/3/22

प्रति,

मेसर्स वंशिका कन्स्ट्रक्शन,
अधिकृत व्यक्ति, श्री रामलाल झारिया,
देवरी राजमार्ग, नरसिंहपुर जिला- नरसिंहपुर (म.प्र.)-487661

विषय:- प्रकरण क्र. 7695/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वंशिका कन्स्ट्रक्शन, अधिकृत व्यक्ति, श्री रामलाल झारिया, देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)-487661 द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 20760 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.173 हेक्टेयर, खसरा 64, ग्राम लोधी, तहसील गोहपरु, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

SEAC की 546वी बैठक दिनांक 08.02.2022 की अनुशंसा उपरांत SEIAA समिति की 707वी बैठक दिनांक 23.02.2022 निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guideline 2016 & Enforcement and monitoring guideline for sand 2020 के अनुसार एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के ओ.ए. नम्बर 456/2018, 726/2018 के आदेश दिनांक 04.11.2020 व माननीय उच्चतम न्यायालय के अपील क्र. 3661/2020 के आदेश दिनांक 10.11.2021 एवं माननीय एनजीटी (विशेष पीठ) के आदेश दिनांक 22.02.2022 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में प्रत्येक पाँच वर्ष में प्रदेश के समस्त जिलों की अपडेटेड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट खनिज शाखा जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, तदुपरांत राज्य शासन/SEAC द्वारा परीक्षण एवं SEIAA द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया निर्धारित है।

उपरोक्त प्रक्रिया के परिपालन में राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं सर्वोच्च न्यायालय के उल्लेखित निर्णय में दिये गये निर्देशानुसार प्रस्तावित खदान की वांछित सम्पूर्ण जानकारी, नवीन जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने एवं अनुमोदन होने तक प्रकरण को Delist किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक, जिला कलेक्टर शहडोल, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म एवं कार्यपालन संचालक, म.प्र. खनिज निगम सहित सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार अपका प्रकरण Delist किया जाता है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 3251 /SEIAA/2022
प्रतिलिपि:-

दिनांक - 4/3/22

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला - शहडोल (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - शहडोल (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला - शहडोल (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी